न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 163/2014 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2014/00036

1. रेशम सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति रायसिख निवासी 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(फौत)

1/1 गुरमीतकौर पत्नी कुलदीप सिह पुत्री करतारसिह निवासी 4 बी बडी पक्की जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. करतारकौर पुत्री स्व. श्री चतरसिंह पत्नी श्री अवतारसिह जाति रायसिख निवासी 7 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. रानीबाई पुत्री स्व. श्री चतरसिंह पत्नी श्री जंगीरसिह जाति रायसिख निवासी फतूही जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरनामकौर पुत्री स्व. श्री चतरसिंह जाति रायसिख निवासी 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सुरेश मोहता अभिभाषक अपीलांट
श्री विनोद कुमार पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय

दिनांक 28.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि

1– वादग्रस्त भूमि चक 3 एफ बड़ा खाता संख्या 3/5 मुं. नं. 11 व 12 की कुल 2.371 हैक्टयर भूमि अपीलांट की माता कम्मोबाई पुत्र चतरसिंह के नाम उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट के आदेश दिनांक 27.02.2007 की पालना में जरिये इंतकाल संख्या 246 दिनांक 12.03.2007 द्वारा दर्ज हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष तहसीलदार हिन्दुमलकोट के आदेश दिनांक 27.02.2007 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 23.03.2012 द्वारा तहसीलदार हिन्दुमलकोट के आदेश दिनांक 27.02.2007 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया कि उभय पक्ष को सुनवाई 1 एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, वसीयत में अंकित गवाहों के बयान किये जाकर, वसीयत के संबंध में सार्वजनिक आपतियॉ नियमानुसार आमन्त्रित की जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 23.03.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट 2 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के नाम चतरसिंह पुत्र जैला सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 30.08.2006 को पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर में करवाई थी जिनका 04.12.2006 को देहान्त होते के बाद दिनांक 22.12.2006 को वसीयत का निष्पादन हुआ। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट की माता कर्मोबाई ने प्रार्थना—पत्र तहसीलदार हिन्दूमलकोट के समक्ष प्रस्तुत किया। जहा वारिसान को तलब किया गया, सभी पक्षकारों के साक्ष्य सबूत दर्ज करने के पश्चात उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा वसीयत को सही मानते हुए कमोबाई एवं जोगासिंह के नमा अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया। उपतहसीलदार हिन्दूमलकोट के समक्ष स्व. चतरसिह के अन्य वारिसान ने फर्जी बताते हुए विरास्तन इंतकाल दर्ज करने का निवदेन किया। इस प्रकार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हिन्दूमलकोट का आदेश कन्टैस्टेड आदेश था। जिसकी धारा 135(2) के अनुसार अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के यहां नही होकर श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के समक्ष होनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण की सुनवाई कर अपने क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता से बाहर जाकर कार्य किया हैं। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर की पत्रावली में कमोबाई की तामिल विधिवत रूप से नही कर कमोबाई के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में करतारकौर पुत्री स्व. श्री चतरसिह को रेस्पोडेन्ट संख्या कर्मोबाई पुत्री स्व. श्री चतरसिंह के अर्थात अपनी सगी बहिन के दिनांक 14.02.2009 को फौत होने का अच्छी तरह से पता था, फिर भी इस प्रकरण में करतारकौर द्वारा कर्मोबाई के फौत होने की कोई इत्तला अधीनस्थ न्यायालय में नही दी तथा न ही कर्मोबाई के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के बारे में कोई कार्यवाही नही की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चुंकि कर्मोबाई के दिनांक 14.02.2009 को देहान्त होने के बावजूद भी दिनांक 23.03.2012 को निर्णय पारित किया है, जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया होने के कारण नलिटी है अर्थात शून्य है, अतः इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण वादग्रस्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जायदाद पर कर्मोबाई का ही काबिज होना माना है तथा कर्मोबाई के देहान्त के पश्चात अपीलार्थी रेशमसिंह पुत्र कर्मोबाई ही वादग्रस्त जायदाद पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। अतः अपील अपीलांट मन्जूर फरमाई जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 23.03.2012 निरस्त फरमाया जावे तथा उप तहसीलदार हिन्दूमलकोट का आदेश बहाल फरमाया जाने की कृपा करे।

3 –विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट रेशम सिंह द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगानगर द्वारा प्रदत निर्णय दिनांक 23.03.2012 के विरूद्ध यह अपील रेस्पोडेन्ट के खिलाफ प्रस्तुत की गई थी। रेशम सिंह द्वारा अपील प्रस्तुत करने के बाद रेस्पोडेन्ट करतार कौर व रानी बाई जरिये अधिवक्ता दिनांक 24.09.2013 को हाजिर अदालत हो गये। गुरूनाम कौर का स्वर्गवास 13.07.2016 को बकुमाम ग्राम मदेरा को हो चुका हैं। जिसके 6 वारिस है। रेशम सिंह अपीलांट का स्वर्गवास दिनांक 6.09.2016 को हो गया था। जिसके कोई कानूनी वारिस नही रहे थे। दिनांक 22.05.2017 को गुरूमित कोर पत्नी कुलदीप सिंह द्वारा आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना–पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया तथा प्रकरण में विधिक वारिस की हैसियत से पक्षकार बनाये जाने का अनुतोष चाहा गया था। कानूनन गुरूमित कौर रेशम सिंह की विधिक वारिसान नहीं है उसके द्वारा पंचायत द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि कानूनन ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त नही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 23.02.2021 जो तत्कालीन शासन सचिव मंजू राजपाल द्वारा जारी किया गया थां इस नोटिफिकेशन में भी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 एवं अन्य नियमों के तहत ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार नही है। गुरूमित कौर ने अपने आप को रेशन सिंह अपीलांट की बहन बताया है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के वर्ग 1 में बहन नही आती है। वर्ग 2 में बहन भाई व अन्य लोग आते है कानून के अनुसार अगर वर्ग 2 में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी मानता है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय से ही प्रमाण – पत्र प्राप्त करना चाहिए। प्रार्थी गुरूमित कौर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है। किसी भी मृत व्यक्ति के पक्षकार बनाने की अवधि कानून में 90 दिन दी गई हैं। प्रार्थना–पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वेग व अस्पष्ट है। परिसीमा अधिनिमय के सिद्धांत उदार तरीके से काम मे लिये जाने चाहिए परन्तु इसका मतलब यह नही होता है कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नही रहे और दूसरे व्यक्ति के हक में पैदा हुए अधिकारों का हनन करने का मौका सिर्फ इस आधार पर दिया जाय कि उसे ज्ञान नही था। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर अपील खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं लिखित बहस एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट्स ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादगत भूमि स्व चतरसिंह की स्वअंर्जित भूमि थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना भी बताया गया है परन्तु वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने से पूर्व तहसीलदार हिन्दूमलकोट ने वसीयत के संबंध में सार्वजनिक आपतियों को आमत्रित नहीं की और ना ही गवाहों के बयान रिकॉर्ड के लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हिन्दूमलकोट ने इंतकाल दर्ज करने से पूर्व नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नही किया। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार हिन्दूमलकोट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(**Remand**) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार हिन्दूमलकोट उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर